अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अजमेर 96/RO/2025 मंदिर श्री राधामुकनजी बनाम कैलाश वगै.

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2020100096 श्री भैंया राम चौधरी	
03.7.20	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित।	

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादी/अपीलांट मंदिर श्री राधामुकन जी महाराज विराजमान मगरी तहसील अजमेर के नेक्सट फ्रेन्डस अपीलांटस ने एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 ग्राम मगरी में अवस्थित पुराना खाता संख्या 183 नया 183 के आराजी खसरा नम्बर 266, 275, 301, 307 रकबा 1.86 हैक्टर एवं इसी पुराना खाता संख्या 24 व नया 24 के आराजी खसरा नम्बर 265, 274, 275/736, 277, 278, 279, 280/789,295, 298, 299 व 300 कुल किता 12 कुल रकबा 3.59 हैक्टर मंदिर श्री राधामुकन जी महाराज विराजमान मगरी के नाम से दर्ज है। वाद वर्णित आराजी सन्1349 फसली खेवट 27 मगरी चकला गगवाना तहसील अजमेर मेरवाड़ा में नम्बर खाता खेवट 110 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा व खेवट संख्या 111 रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी जो बजरंग लाल पुत्र रामसुख्या, मु.नाथी बेवा जेठमल, महादेव व रामनाथ पिसरान बद्री कौम ब्राहमण गोत्र दायमा साकिन देह पुराजीयान मंदिर राधामुकन जी के नाम चली आ रही है अर्थात वाद वर्णित आराजीयात मंदिर राधामुकन जी महाराज विराजमान मगरी की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि आराजीयात जागीर ठिकाना व गॉव बसने के समय से ही जागीरदार द्वारा ग्रामवासियों के कहने से मंदिर के नाम से दे दी थी जो कि मंदिर की सेवा पूजा भोग कराने वाले पुराजियों को मंदिर राधामुकनजी के नाम से दी गई थी। पुरानी परिवान वर्तमान में मगरी गॉव छोड़कर अन्यत्र निवास कर रहे तथा मंदिर क़ी सेवा पूजा भी नहीं कर रहे है इसलिए मंदिर की भूमि पर किसी खातेदारी हक नहीं दिये जा सकते है। मंदिर मूर्ति श्री राधामुकन महाराज के नाम दर्ज किये जाने हेतु मौजूदा वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण/अपीलांटस ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् करीब–करीब उन्ही कथनो के साथ प्रस्तुत किया जो कथन वाद पत्र में किये गये है। अन्त में वादीगण/अपीलांटस ने प्रार्थना की कि वाद वर्णित मंदिर श्री राधामुकन की भूमि के कब्जे काश्त में दखलदांजी से प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस को पाबंद फरमाया जाकर वाद वर्णित भूमि को रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करने व अन्य द्वारा अतिक्रमण नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को दिनांक 12.09.2019 को दर्ज रजिस्टर कर लिया लेकिन अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं कर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया है जबकि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से एक पक्षीय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश पारित करना अनिवार्य है। अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 07.01.2020 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गयी। न्यायालय हाजा ने अपने आदेश दिनांक 30.10. 2019 के द्वारा विचाराणीय न्यायालय को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम (अस्थायी निषेधाज्ञा) का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करने के निर्देश दिये थे जिसमें अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की प्रति स्वंय द्वारा व न्यायालय हाजा द्वारा प्रति के आधार पर द्वारा जारी प्रति के आधार पर ही किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित किये बिना ही दिनांक 07.01.2020 को शामिल मिसल ही किया गया और उसके बाद लम्बी तारीख पेशियॉ दे दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थिगण/अपीलांट के अभिवचनों व मंदिर की भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

लगातार

अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

96/20/225 मंदिर श्री राधामुकन जी बनाम कैलाश चन्द

तारीख पेशी	20200096 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री सीया राम चौधरी	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
लगातार	की रक्षार्थ किसी प्रकार का अन्तरिम आदेश पारित नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 07.01.2020 से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई और कथन किया गया कि रेस्पोडेन्टस पुजारियों के वाद वर्णित भूमि का खातेदारी इन्द्राज मूलतः धारा 46 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध दर्ज किये गये है। रेस्पोडेन्टस का वाद वर्णित भूमि पर कोई हक अधिकार हासिल नहीं होते हुए गलत इन्द्राज का फायदा उठा कर वाद वर्णित मंदिर की भूमि को रहन, बय व मुन्तकिल करने पर आमादा है तथा भूमि पर अन्य एजेन्ट अतिक्रमण करने पर आमादा है। मंदिर मूर्ति शाश्वत् नाबालिग होने से एवं उनके अधिकारों एवं हितो के रक्षार्थ हेतु उक्त अपील क्षेत्राधिकार विहिन आदेशों को चुनौति देने के लिए मियाद का तकनीक बिन्दु आडे नहीं आता है। विवादित आराजी बाबत् वाद की बाहुल्यता नहीं बढ़े इसलिए वाद वर्णित भूमि वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 ग्राम मगरी में अवस्थित पुराना खाता संख्या 183 नया 183 के आराजी खसरा नम्बर 266, 275, 301, 307 रकबा 1.86 हैक्टर एवं इसी पुराना खाता संख्या 24 व नया 24 के आराजी खसरा नम्बर 265, 274, 275/736, 277, 278, 279, 280/789,295, 298, 299 व 300 कुल किता 12 कुल रकबा 3.59 हैक्टर का वाद के निर्णय तक मंदिर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं कर व भूमि को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करने से पाबंद किये जाने आदेश फरमाया जावें। अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपीलाधीन आदेश की प्रति व अपील मीमों व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित कथन संतोषजनक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर ने न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 30.10.2019 के आदेश बाबत् किसी प्रकार की तत्परता नहीं दिखाई और ना ही न्यायालय हाजा के आदेश बाबत् कोई कार्यवाहीं की बल्कि प्रकरण में लम्बी तारीख पेशियॉ दी जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि यदि प्रार्थीगण,शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस तलबाना आवश्यक रूप से पेश करने के निर्देश देते एवं नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी से पेश करने की हिदायत देते व प्रकरण का निस्तारण शीघ्र से शीघ्र करते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की है। इस दौराने यदि विवादित आराजी रहन, बय व मुन्तकिल हो जाती है तो प्रथम दृष्ट्या अपीलांट को क्षति होगी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.01.2020 विधि सम्मत नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में व पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील को आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे प्रकरण में शेष अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस करावें एवं उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का	लगातार

अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

96/225 मंदिर श्री राधा मुकन्दजी बनाम कैलाश चन्द

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	20/..96 श्री भीमा राम चौधरी	
लगातार	गुणावगुण पर निस्तारण उक्त आदेश से 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	